HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 514/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.623/2025

Vikram Singh Urf Sethi S/o Lohdyaram, Aged About 28 Years, R/o Naharkhohra Police Thana Mehandipur Balaji District Dausa Rajasthan (At Present Confined At District Jail Dausa)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री रजनीश गुप्ता मि. चंचल श्री उत्कर्ष गोयल
For Respondent(s)	:	श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

23-02-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**14/2022 , सरकार बनाम विक्रम सिंह सेठी** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **20.02.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी विचारण के दौरान दिनांक 29.01.2022 से 16.04.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तत्पश्चात् वह जमानत पर रहा है। वर्तमान में वह दिनांक 20.02.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम में दोषमुक्त किया है, आहत को मार्मिक अंग पर कोई चोट प्रकट नहीं हुयी है । चिकित्सा विशेषज्ञ पी.ड.10 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रदर्श पी–5 चोट प्रतिवेदन की चोटों की प्रकृति सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **23.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **विक्रम सिंह उर्फ सेठी पुत्र लोहडयाराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/51sos